तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एलआर/6919/2002/जालौर **जोधराम जरिये वारिसान व अन्य बनाम वक्ता जरिये वारिसान व अन्य**	

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः—04.03.2025

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील संख्या 95/2002 में पारित आदेश दिनांक 16—11—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी/अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपीलाण्ट्स की अपील उनके समक्ष मेण्टेनेबल नहीं होना मानकर खारिज करने में कानूनी भूल की है। रेस्पो0 संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति इस आश्य की थी कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर ने अपीलाण्ट्स द्वारा उनके आदेश दिनांक 20—02—2001 के विरूद्ध की गयी अपील के विरूद्ध नजरसानी प्रस्तुत कर दी थी एवं नजरसानी आदेश दिनांक 29—05—2022 द्वारा अस्वीकार कर दी थी। नजरसानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने पर ऐसे आदेशों के विरूद्ध आदेश 47 नियम 9 के कारण अपील संधारण योग्य नहीं है, स्वयं अति0 संभागीय आयुक्त ने अपीलाण्ट्स के मीमों ऑफ अपील व उसके साथ संलग्न धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से यह माना है कि अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचौर के आदेश दिनांक 29—05—02 के विरूद्ध नहीं है, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को उनके समक्ष संधारण योग्य नहीं मानकर रेस्पो0 संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार कर अपील खारिज कर अपने अधिकारिता से परे आदेश पारित किया है। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर ने जब अपीलाण्ट्स द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 20—02—2001 के विरूद्ध प्रस्तुत होना मान लिया था तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर के निर्णय दिनांक 20—02—2001 को गुणावगुण पर व उस आदेश की वैद्यता को देखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। केवलमात्र अपीलाण्ट्स की अपील मेन्टेनेबल नहीं होना मानते हुए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 20—02—01 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना मानकर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त ने अपनी अधिकारिता को काम में नहीं लिया साथ ही अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6919/2002/जालौर** **जोधराम जरिये वारिसान व अन्य बनाम वक्ता जरिये वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का निर्णय करने में विफल रहे। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपील की मेन्टेनेबिल्टी व धारा 5 मियाद अधिनियम के बाहर अपील प्रस्तुत किये जाने की ही अपत्तियां उठायी थीं जिस पर मियाद सम्बंधी प्रार्थना पत्र पर अपना कोई निर्णय पारित नहीं किया। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त के निर्णय अनुसार अपील को अन्दर मियाद ही माना है। गै0मु0 रास्ते पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते थे, साथ ही धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्त करने का अधिकार नहीं था। यद्यपि बंदोबस्त अधिकारियों ने खसरा नम्बर 467 रकबा 0.12 है0 का इंद्राज पूर्वतः ही रखा था जब अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने गुणावगुण पर उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 20–02–2001 को एग्जामिन ही नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उनका आदेश अधूरा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का आदेश मूलतः क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से अति0 संभागीय आयुक्त को उदार दृष्टिकोण रखते हुये तथा सावर्जनिक उपयोग की भूमि के इंद्राज को यथावत रखना चाहिए था। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर के निर्णय क्रमशः दिनांक 16–11–2002 एवं 29–05–02, 20–02–2001 निरस्त फरमाये जावें। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज फरमाया जावे।

4– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अधिवक्ता अपीलार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित रिव्यु आदेश दिनांक 29–05–2002 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील प्रस्तुत की थी जो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में पोषणीय नहीं थी, क्योंकि रिव्यु प्रार्थना पत्र की अपील मेण्टेनेबल नहीं होती है। अपीलाण्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांचोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–02–2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परंतु उनके द्वारा उक्त मूल आदेश की अपील न कर रिव्यु प्रार्थना पत्र पर हुए निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो विधिक प्रावधानों के तहत न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पोषणीय नहीं थी। अपीलाण्ट परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष पक्षकार नहीं थे तथा अपीलाण्ट को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–02–2001 के विरूद्ध रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश करने का विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि वे मूल आदेश में पक्षकार ही नहीं थे। उपर्युक्त स्थिति में अपीलाण्टगण को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्टगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–02–2001 से किसी भी प्रकार से न तो प्रभावित है न ही हितबद्ध पक्षकार हैं एवं न ही उनका कोई लोकस स्टेण्डाई है। जिस आदेश के विरूद्ध अपीलाण्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी वह आदेश स्वयं अपने आप में अपीलेबल आदेश नहीं है। अतः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6919/2002/जालौर** **जोधराम जरिये वारिसान व अन्य बनाम वक्ता जरिये वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलाण्टगण द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। 5— हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। रेस्पो0 क्रम 01 मृतक वगता ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर ने अपने आदेश दिनांक 20—02—2001 के द्वारा रेस्पो0 क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार कर प्रश्नगत आराजी वाके मौजा डेडवा तहसील सांचोर में स्थित खसरा संख्या 467 रकबा 0.12 है0 गै0मु0 रास्ता के बजाय बारानी—ाा प्रार्थी वगता की खातेदारी में राजस्व अभिलेख जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—02—2001 से व्यथित होकर अपीलाण्टगण ने उपखण्ड अधिकारी सांचोर के समक्ष रिव्यु प्रार्थना पत्र पेश किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर ने अपने आदेश दिनांक 29—05—2002 के द्वारा अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलाण्टगण ने उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—05—2002 के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की। रेस्पो0 ने न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति पेश की। अधीनस्था अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर ने प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को मेण्टेनेबल नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। हमने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। अपीलाण्टगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में चाहे गये अनुतोष में उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—02—2001 एवं रिव्यु प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 29—05—2002 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अपीलाण्टगण ने मूल आदेश दिनांक 20—02—2001 का अंकन अपील मीमों के प्रथम पृष्ठ पर नहीं किया है परंतु उनके द्वारा अपने अनुतोष में दोनों आदेशों को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। उपर्युक्त स्थिति में अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील में दोनों आदेशों के विरूद्ध अनुतोष चाहा जाना माना जावेगा, क्योंकि अपीलाण्टगण द्वारा अपने अपील मीमों के अंतिम पैरे में अनुतोष जो चाहा गया था उसमें उक्त दोनों आदेशों का हवाला दिया गया है। उपर्युक्त स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परंतु उनके द्वारा प्रारंभिक आपत्ति जो रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत की गयी है उसे स्वीकार करते हुए अपील पोषणीय नहीं होने के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 16—11—2002 के द्वारा अपील खारिज कर दी जो विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6919/2002/जालौर** **जोधराम जरिये वारिसान व अन्य बनाम वक्ता जरिये वारिसान व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है, क्योंकि अपीलाण्टगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो अनुतोष चाहा है उसमें उपखण्ड अधिकारी सांचोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–02–2001 एवं 29–05–2002 दोनों को निरस्त किये जाने का कथन किया है। उपर्युक्त स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष उभयपक्षकारान की बहस सुनने के उपरांत गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझतें है। 6– परिणामतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–11–2002 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष दिनांक 07–04–2025 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	